राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)टोहास/97/पार्ट फाईल–2/19336 जयपुर, दिनांक : 26/09/201

कार्यालय आदेश –27/2018

ट्रक ऑपरेटर्स हाईवे एमेनिटी सोसायटी (टोहास), जयपुर द्वारा आमजन विशेष रूप से वाहन स्वामी और वाहन चालक के लिए ड्राईविंग लाईसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, सड़क–सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित उपयोगी जानकारियां **'लाईसेंस से ड्राईविंग तक हर जानकारी'** पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की जा रही है। उक्त पुस्तिका प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को उपरोक्त जानकारियां प्रदान करने के साथ–साथ आवेदकों के ड्राईविंग लाईसेंस/वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट के माध्यम से उनके स्वयं के घर तक निःशुल्क पहुंचाना है।

पुस्तिका की प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है :–

1. पुस्तिका की कीमत 100/-- रू. होगी।
2. यह पुस्तिका वाहन डीलर के माध्यम से प्रत्येक वाहन क्रेता को अनिवार्य रूप से कीमतन दी जाएगी।
3. परिवहन मुख्यालय से पुस्तिका त्रैमासिक आवश्यकतानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को आवंटित की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने स्तर पर, मुख्यालय से पुस्तिका प्राप्त कर अधीनस्थ जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आवंटित करेंगे।
4. जिला परिवहन अधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार के समस्त वाहन डीलर को उनकी मासिक आवश्यकतानुसार पुस्तिका आवंटित करेंगें एवं डीलर उक्त आवंटित पुस्तिका का भुगतान जिला परिवहन अधिकारी को प्रत्येक माह अग्रिम (एडवांस) रूप से करेंगें।
5. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त जिला परिवहन अधिकारियों से भुगतान राशि एकत्रित कर प्रत्येक माह जरिए डीडी सदस्य सचिव, टोहास को प्रेषित करेंगें।
6. उक्त पुस्तिका निर्बाध रूप से वाहन क्रय के समय क्रेता को उपलब्ध होती रहे, इस हेतु आवश्यक समन्वय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त आदेश दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी होंगे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : एफ.2(1)टोहास/97/पार्ट फाईल–2/19337-19342 जयपुर, दिनांक : 26/09/2018

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)/(यो.वि.)।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त